पंचायती — राज

अनुक्रमणिका

सर्व सेवा संघ रजिस्टर :

	स्थान	तारीख	टाईप पृष्ठ नं0
(1) पंचायती राजकी योजना	ऊंकुदुरु	15-4-61	1-2

प्रबंध समिति रजिस्टर :

(2) संघ निवेदन पंचायती राज्य	सर्वोदयपुरम्	12-4-61	3
(3) पंचायती राज अध्ययन	काशी	13-8-61	4
(4) पंचायती ॲक्ट में सुधारसंबंधी पाटील साहबका नोट	ढकुआखाना	10-1-62	5
(5) पंचायतों के चुनाव अपक्ष हो	पटना	7-4-62	6
(6) पंचायत परिषद व ग्रामदान वर्किंग ग्रुप	पटना	"	7
(7) बीकानेर जिले के पंचायती चुनाव स्थगित रखे जाय। ग्रामदानी गावोंमें ग्राम सभा गठन का मौका सरकार दे	सावलीशोकर	29-7-70	8

= = = = = =

www.vinoba.in

पंचायती – राज

(सर्व सेवा संघ - रजि० नं० 3)

(उंगुटूर– 15-4-61) पृ०नं० 163

प्रस्ताव नं० 2 पंचायती राज की योजना :-

देश में पंचायती राज के नाम से राजनैतिक विकेंद्रीकरण की योजना सरकार द्वारा लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत गांवों से लेकर जिलें के स्तर तक पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का गठन होकर इन्हें विकास सम्बन्धी और कुछ प्रशासन के अधिकार दिए जाने की बात है।

सर्वोदय की दृष्टि से जो समाज–रचना हम चाहते है, वह भी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण की ही है, अपेक्षा यह है कि गांव–गांव में जनता की अपनी शक्ति और उसका अपना अभिक्रम प्रकट हो तथा जीवन की आवश्यकताओं की व्यवस्था स्वयं करके वह स्वाश्रयी तथा स्वावलंबी बन सके। धीरे धीरे ग्राम- स्तर तक की छोटी से छोटी इकाई अधिक से अधिक जिम्मेदारी का काम स्वयं संभाले और ऊपर के स्तरों को वे ही काम सौंपे जायं, जिन्हें छोटी इकाई के लिए संभालना या करना संभव न हो अथवा राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से जिन्हें बडे क्षेत्र की इकाई के लिए आवश्यक माना जाय। स्पष्ट है कि इस प्रकार की विकेन्द्रित रचना राज्य या कानून के द्वारा केवल विकास–सम्बन्धी नीचे की इकाइयों के सुपुर्द कर दिये जाने से सम्पन्न नही होगी। इसके लिए बुनियाद से ही ग्राम–स्वराज्य के विचार के आधार पर लोकशक्ति को नयी व्यवस्था के लिए जगाना तथा उसे खडा व तैयार करना होगा।

जब तक जनता की निज की शक्ति प्रकट नही होती, तबतक इस प्रकार के प्रयोग से दलबन्दी, संप्रदायवाद और भ्रष्टाचार आदि बुराइयों के अधिक व्यापक रूप धारण कर लने का खतरा है। जिन प्रदेशों में पंचायती राज कार्यक्रम लागू हुआ है, वहां के पिछले कुछ दिनों के काम का अनुभव भी इस ओर संकेत करता है। पंचायती राज की मोजूदा योजना में इस दृष्टि से भी बुनियादी परिवर्तन आवश्यक है।

जनता को उसकी शक्ति का भान करने व उसके अभिक्रम को जमाने का एक तरीका यह है कि गांव–गांव में सब बालिग स्त्री–पुरुषों की ग्राम सभा के हाथों में ही क्षेत्र की विकास–योजना व व्यवस्था आदि का अधिकार हो :

www.vinoba.in

ग्राम सभाएँ सक्रिय हों, वे ग्राम जीवन का समग्र चिंतन करें, समय-समय पर ग्राम व क्षेत्र में सम्बन्ध(समबद्ध) विभिन्न मुद्दों के बारे में वे स्वयं निर्णय करें। ग्राम-सभा, ग्राम-पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आदि के निर्णय सर्व सम्मति या सर्वानुमति से होने चाहिए। यह भी जरूरी है कि आज का नौकरशाही का ढाँचा बदले। विभिन्न स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्त व नियंत्रण का अधिकार या तो पंचायती संस्थाओं को या जिला स्तर पर संगठित स्वतंत्र सेवा आयोग को हो।

पंचायती राज के इस सक्रिय कार्यक्रम को सफल करने के लिए यह जरूरी है कि पंचायती राज की संस्थाओं का निर्वाचन, गठन व कार्य संचालन आदि की पूरी तौर पर दलीय राजनीति से बचाया जाय। सभी पक्षों को इस बारे में एकमत होकर पंचायती राज को सफल बनाने में पूरा सहयोग देना चाहिए। यह भी समझ लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण के बिना केवल राजनैतिक विकेन्द्रीकरण सफल नहीं हो सकता। गाँव- समाज से परिवार की भावना जगाने और कायम रखने के लिए आर्थिक समता का वातावरण पैदा करना भी जरूरी है। इससे भूमि का ग्रामीकरण एक आवश्यक कदम हो जाता है।

यह खतरा साफ है कि पंचायती राज के प्रयोग को अगर ग्राम स्वराज्य की सही दिशा में नहीं मोड़ा गया, तो ग्राम-स्वराज्य के आदर्श और लोकतंत्र पर से देश की जनता की आस्था उठ जायगी। अतः सर्वोदय कार्यकर्ता इस सारे कार्यक्रम से उदासीन नहीं रह सकते यह आवश्यक है कि इस प्रयोग की मर्यादाओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम-स्वराज्य के विचार को जनता तक पहुँचाने और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं का उपयोग करने की उन्हें प्रेरणा देने का लोक-शिक्षण का हमारा कर्तव्य पूरा करने में हम सब तत्परता के साथ लग जाय। ताकि गाँव-गाँव की जनता ग्राम-स्वराज्य के लिए समर्थ और योग्य हो सके।

लोक-शिक्षण के इस बुनियादी कार्यक्रम में न सिर्फ आम लोगों का बल्कि खुद कार्यकर्ताओं का, पंचों, सरपंचों आदि का तथा संबद्ध प्रशासनिक कर्मचारियों का शिक्षण भी शामिल है। यह कार्यक्रम देशभर में किस प्रकार संयोजित किया जाय और उसे चलना दी जाय, इस बारे में प्रबंध समिति आवश्यक कार्रवाई करें।

= = = = = = = = =

www.vinoba.in

प्रबंध समिति रजि० नं० 4)

(सर्वोदयपुरम्–12-4-61) पृष्ठ नं० 123

प्रस्ताव नं० 7 :- (संघ निवेदन) — पंचायती राज ।

(ग) पंचायती राज की योजना :-

देश में पंचायती राज के नाम से राजनैतिक विकेंद्रीकरण की योजना सरकार द्वारा लागू की जा रही है । इसके अन्तर्गत गाँवों से लेकर जिले के स्तर तक पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का गठन होकर इन्हें विकास संबंधी और कुछ प्रशासन के अधिकार दिए जाने की बात है ।

सर्वोदय की दृष्टि से जो समाज रचना हम चाहते हैं वह भी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकेंद्रीकरण की ही है । अपेक्षा यह है कि गाँव - गाँव में सब बालिग स्त्री–पुरुषों की ग्राम सभा के हाथों में ही क्षेत्र की विकास योजना व व्यवस्था आदि का अधिकार हो, ग्राम सभाएँ सक्रिय हों, वे ग्राम जीवन का समग्र चिंतन करें, व समय–समय पर और ग्राम व क्षेत्र में संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में वे स्वयं निर्णय करें । ग्राम सभा, ग्राम–पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आदि के निर्णय सर्व सम्मति या सर्वानुमति से होने चाहिए । यह भी जरूरी है कि आज का नौकरशाही का ढाँचा बदले । विभिन्न स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति व नियंत्रण का अधिकार या तो इन पंचायती संस्थाओं को या जिला स्तर पर संगठित स्वतंत्र सेवा आयोग को हो ।

पंचायती राज के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए यह जरूरी है कि पंचायती राज की संस्थाओं का निर्वाचन, गठन व कार्य संचालन आदि को पूरी तौर पर दलीय राजनीति से बचाया जाय । सभी पक्षों को इस बारे में एकमत होकर पंचायती राज को सफल बनाने में पूरा सहयोग देना चाहिए । यह भी समझ लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण के बिना केवल राजनैतिक विकेंद्रीकरण सफल नहीं हो सकता । गाँव समाज में परिवार की भावना जगाने और कायम रखने के लिए आर्थिक समता का वातावरण पैदा करना भी जरूरी है । इसके भूमि का ग्रामीकरण एक आवश्यक कदम हो जाता है ।

www.vinoba.in

यह खतरा साफ है कि पंचायती राज के प्रयोग की अगर

ग्राम- स्वराज्य की सही दिशा में नही मोड़ा गया तो ग्राम स्वराज्य के आदर्श और लोकतंत्र पर से देश की जनता की आस्था उठ जायगी । अतः सर्वोदय कार्यकर्ता इस सारे कार्यक्रम से उदासीन नही रह सकते । यह आवश्यक है कि इस प्रयोग की मर्यादाओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम-स्वराज्य के विचार को जनता तक पहुँचाने और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं का उपयोग करने की उन्हें प्रेरणा देने का लोक शिक्षण का हमारा कर्तव्य पूरा करने में हम सब तत्परता के साथ लग जायें, ताकि गांव-गांव की जनता ग्राम स्वराज्य के लिए समर्थ और योग्य हो सके ।

लोक-शिक्षण के इस बुनियादी कार्यक्रम में न सिर्फ आम लोगों का बल्कि खुद कार्यकर्ताओं का पंचों, सरपंचों आदि का तथा संबंधित प्रशासनिक कर्मचारियों का शिक्षण भी शामिल है । यह कार्यक्रम देश भर में किस प्रकार संयोजित किया जाय और उसे चालना दी जाय इस बारे में प्रबंध समिति आवश्यक कार्रवाई करें ।

=.=.=.=.=.=.=

(काशी-- 13-8-61) पृ०नं०/ 152 153

प्रस्ताव नं० 5 :- पंचायती राज अध्ययन

पंचायती राज के विषय में श्री जयप्रकाशनारायण ने प्रारंभ में निम्न जानकारी दी :-

पंचायती राज की सारी योजना देश के गांव-गांव व घर-घर को छूनेवाली है इसलिए उस संबंधी लोक-शिक्षण तथा सर्व सेवा संघ की विषयक भूमिका के बारे में जनता को सचेष्ट किए जाने की बहुत आवश्यकता है । सभी संघ या प्रदेश के संगठनों द्वारा इस संबंध में खास कोई कार्यक्रम नही बना है । हर प्रदेश में पंचायती राज के कानून बन रहे हैं । उनका अध्ययन होना जरूरी है । उनकी कमियां सामने आनी चाहिए । जहां कानून का अमल हो रहा है, वहां बीच-बीच में उसके कार्य को जांचना भी जरूरी है । हम निर्विरोध चुनाव की बात करते है, लेकिन गांवों में बड़े और प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रभुत्व होता है । और वे ही निर्विरोध के तौर पर चुने जाते हैं । इसमें क्या सुधार हो, यह भी सोचना चाहिए ।

www.vinoba.in

पंचायती राज के कानून में पंचायती के हाथ में जो कार्य दिए जाएंगे उनके संबंध में भारतीय विधान में भी परिवर्तन होकर पंचायतों के जिम्मे किए ~~जानेवाले विषयों~~ जानेवाले विषयों की एक लिस्ट बननी चाहिए — जैसे आज केंद्र और प्रदेशों के लिए बनी है । इस तरह पंचायतों को संविधान में स्थान मिलना चाहिए ।

आम चुनाव के लिए आज स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन बना है । वैसा पंचायतों के चुनाव के लिए भी अलग से कमीशन बनना चाहिए अन्यथा प्रदेशीय सरकारें अपनी सहूलियतों के नाम पर पंचायत के चुनावों में कई प्रकार की मन-मानियां कर सकती हैं ।

चर्चा में यह भी सवाल उठाया गया कि हम अगर प्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं तो राजनीतिक पक्ष कहते हैं कि पंचायतें ही चुनाव की बुनियादी बन जाएंगी । इस दशा में पंचायतों के चुनावों में राजनीतिक पत्ते न पड़ें, यह कहां तक संभव है?

इस प्रकार पंचायती राज संबंधी विभिन्न परिस्थिति तथा समस्यादि के अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है । चर्चा होकर तय हुआ कि हर प्रदेश में पंचायत राज के विषय में जो प्रश्न और समस्याएं हैं, उनके विषय में श्री रा०कृ० पाटिल को सूचित किया जाय । श्री पाटिल अपनी समिति में उन पर विचार करके प्रबंध समिति के सामने अपने सुझाव रखें ।

= = = = = = = = =

(ढकुआखाना— 10-1-62) पृ०नं० 213

प्रस्ताव नं० 13 :- पंचायत अंक में सुधार संबंधी पाटील साहब का नोट

...

पंचायती राज योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला परिषद के परस्पर संबंधों के बारे में प्रचलित कानून में क्या सुधार आवश्यक है इस संबंध में तैयार किया हुआ लिखित नोट इस संबंधी समिति के संयोजक श्री रा० कृ० पाटील ने सभा के सामने रखा । यह नोट सदस्यों को हाल ही में ~~परिषद~~ परिपत्रित किया गया था ।

चूंकि उपरोक्त नोट सदस्यों के पास देर से पहुंचा और उस पर बारीकी से विचार करने के लिए पर्याप्त समय उन्हें नहीं मिला इसलिए तय

www.vinoba.in

किया गया कि प्रबंध समिति के सब सदस्य अपने सुझाव श्री रा०कृ०पाटील के पास यथा शीघ्र भेज दें और उनकी रोशनी में समुचित संशोधन का सुझाव श्री पाटील तैयार करें ।

= = = = = =

(पटना — 7-4-62) पृ०नं० 225

प्रस्ताव नं० 13 :— पंचायतों के चुनाव अपक्ष हों

हाल ही में दिल्ली में ता० 1 से 4 अप्रैल तक "नियोजित अर्थ-व्यवस्था" विषय पर एक सेमिनार हुआ था । जिसमें योजना आयोग के कुछ सदस्य भारत सरकार के संबंधित कुछ मंत्री व अधिकारी गण, देश के कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री व सर्व सेवा संघ और मुख्य राजनैतिक - संगठनों के कुछ कार्यकर्ता गण शामिल हुए थे । इसमें यह चर्चा आयी और सबका ही इस पर जोर रहा कि पंचायत राज योजना के अंतर्गत पंचायत से जिला स्तर तक के अर्थात पंचायत , पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अपक्ष होने चाहिए । इस स्तर पर यदि पक्ष-भेद पैदा जायेगा तो वह लोक निष्ठ सहयोगी समाज बनने व लोकनीति की स्थापना में बाधक होगा । श्री जयप्रकाशनारायण और श्री ढेबर भाई ने कहा कि इस विषय में श्री जवाहरलाल नेहरु सक्रिय दिलचस्पी ले तो ही कांग्रेस कारगर तरीके से इस बारे में सोच सकती है व अमल भी कर सकती है । इसलिए श्री जयप्रकाश नारायण जी श्री नेहरुजी से पहले बात कर उनका दृष्टिकोण, मुख्यतः वे इसमें कितना सक्रिय योग दे सकते है, वह जानने का प्रयत्न करें । वे इस काम में सक्रिय योग दे सकते है, वह जानने का प्रयत्न करें । वे इस काम में सक्रिय सहयोग देने को राजी हो तो फिर अलग अलग पक्षों से स्वतंत्र रूप से बात की जाय । इतनी प्राथमिक तैयारी हो जाने के बाद राजनैतिक पक्षों की सम्मिलित बैठक के संबंध में कार्रवाई की जाय । श्री ढेबर भाई ने यह भी कहा कि वे भी श्री नेहरुजी से इस विषय में बात करेंगे ।

www.vinoba.in

तय हुआ कि श्री जयप्रकाश नारायण जी की श्री नेहरूजी से प्रारंभिक बात हो जाने पर उस रोशनी में वे राजनीतिक दलों को पत्र लिखने वगैरह की कार्रवाई करें ।

= = = = =

(प्रबंध समिति रजि० नं० 5) पृ०नं० 236

प्रस्ताव नं० 20 :- पंचायत परिषद व ग्राम दान आंदोलन वर्किंग ग्रुप

भारत में पंचायतों का संगठन अब गाँव-गाँव तक पहुँच गया है । ग्रामदान की दृष्टि से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों से संपर्क और सहकार प्राप्त करने की भी बहुत ही जरूरत है । इसके अलावा पंचायत आंदोलन में आज क्या हो रहा है उसके संगठन में और संचालन में क्या कमियाँ रह गयी है आदि बातों का अध्ययन करने की भी आवश्यकता है । पंचायत आंदोलन को वेग देने की दृष्टि से सर्वोदय आंदोलन भी मदद करे इसकी आवश्यकता महसूस की गई । पंचायत परिषद के साथ समय-समय पर बात करने, पंचायत आंदोलन सही दिशा में जाने की दृष्टि से कदम उठाने के लिए 12 लोगों का एक वर्किंग ग्रुप गठित करने का सुझाव आया। जिसमें पंचायत परिषद के भी सदस्य 6 रहेंगे । पंचायत परिषद के अध्यक्ष श्री जयप्रकाशनारायण ने कहा कि इसका आधा खर्च पंचायत परिषद वहन करेंगी।

विचार होकर तय किया गया कि पंचायत परिषद के साथ विचार करके इस वर्किंग ग्रुप को संघ के अध्यक्ष यथाशीघ्र गठित करें ।

= = = = = = =

www.vinoba.in

(प्रबंध समिति रजि० नं० 7)

(सावलीसीकर)

29-7-70

पृ० नं० 100

प्रस्ताव नं० 10 :- बीकानेर जिले में ग्रामदान को इसको धक्का न लगे इसलिये पंचायतों के चुनाव स्थगित रखे जायें

.....

प्रबंध समिति के सामने ग्रामदान में शामिल हुए कई क्षेत्रों की एक महान समस्या सामने आई है कि इनमें ग्रामदान की भावना व कानून के अनुसार ग्राम स्वराज्य की दिशा में कार्य चल पड़ने से पूर्व यदि पंचायत राज संस्थाओं के मौजूदा प्रणाली के दल व साधारण अल्पमत बहुमत आदि के आधार पर चुनाव होते है तो उससे नई बननेवाली भूमिका को शक्ति पहुंचती है तथा समुदाय के मिल जुलकर चिंतन व कार्य करने की भावना को धक्का पहुचने का खतरा पैदा होता है। राजस्थान के हाल ही में ग्रामदान में शामिल हुए बीकानेर जिले के कार्यकर्ताओं ने इस ओर विशेष रूप से प्रबंध समिति का ध्यान आकृष्ट किया। संयोग से अभी कुछ दिनों बाद ही सारे राजस्थान में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। आवश्यकता बताई गई है कि जिलादानी क्षेत्रों को साल छे महीनें मौजूदा चुनाव प्रथा के दोषों से रक्षित करने का और ग्राम स्वराज की भावना व पद्धति से ग्राम सभाएं संगठित कर स्वायत शासन को पूरे गांव समुदाय द्वारा संभालने संचलित करने का मौका मिलना चाहिए।

सर्व सेवा संघ की प्रबंध समिति ने इस पर गंभीरता से विचार किया समिति मानती है कि इस स्थिति की ओर सहानुभूति पूर्व का और नए ढंग से सोचना राज्य सरकारों के लिए आवश्यक व उपयोगी होगा। प्रबंध समिति राजस्थान सरकार से अपेक्षा करती है कि बीकानेर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव फिलहाल स्थगित रखे जाएंगे। और वहां की जनता को ग्रामदान ग्राम-स्वराज्य की मूलभूत भावना से गांव गांव में ग्राम सभाओं के गठन का अवसर दिया जायेगा।

=.=.=.=.=.=

www.vinoba.in